भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1373

जिसका उत्तर 09.02.2023 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग

1373. श्रीमती अपरुपा पोद्दार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रारम्भ करने और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए है और देश में ईवी निर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे चार्जिंग और रखरखाव सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में अगले पांच वर्षों के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एचईवीएस), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवीएस) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (पीएचईवीएस) के उपयोग के लिए क्या अनुमान लगाया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक और बैटरी वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में अखिल भारतीय आधार पर भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और वाहनों के उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान करना है। वर्तमान में, फेम इंडिया योजना के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर केंद्रित है।

2. देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशुद्ध इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में रेट्रो-फिटमेंट के माध्यम से रूपांतरण के लिए सा.का.नि.167 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया है और उनका अनुपालन एआईएस 123 के अनुसार होगा।

(ii) इसके अलावा, सरकार ने का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल तथा मेथनॉल ईंधन से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट भी प्रदान की है।

(iii) सरकार ने सा.का.नि.749(अ), दिनांक 7 अगस्त, 2018 के माध्यम से पंजीकरण चिह्न बैटरी से चलने वाले परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में होने को अधिसूचित किया है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 525 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 द्वारा बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न देने के शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(v) मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और साझा आवा-जाही तथा सार्वजनिक परिवहन प्रचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के संबंध में 17 जुलाई, 2019 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी जारी की है।

(vi) सरकार ने बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त, 2020 को एक परामर्शी जारी की है।

(vii) सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 16 जून, 2021 को एक परामर्शी जारी की है।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण योजना के चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) के तहत 68 शहरों में 2877 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है और 9 एक्सप्रेसवेज तथा 16 राजमार्गों पर 1576 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी गई है।

फेम-इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा हुआ है।

दिशानिर्देश और मानक: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए गए थे।

(ग) शून्य।

*****